

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-619/14

संस्थित दिनांक- 28.10.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

1. उमराव पुत्र भगुन्ता अहिरवार उम्र 53 साल
2. वीरन पुत्र उमराव अहिरवार उम्र 28 साल
3. कल्ली पुत्र उमराव अहिरवार उम्र 26 साल  
निवासीगण ग्राम हलनपुर
4. मीनाराम पुत्र गोरेलाल अहिरवार उम्र 27 साल निवासी बामौर हुरा
5. मुन्नी पुत्री उमराव अहिरवार उम्र 23 साल निवासी ग्राम हलनपुर  
निवासीगण तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 15.11.2017 को घोषित)

01—अभियुक्त उमराव, कल्ली, मनीराम व मुन्नी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 324/149 एवं अभियुक्त वीरन के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324, 323/149 व अभियुक्त मुन्नी पर अतिरिक्त भा0द0वि0 की धारा 294 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि दिनांक 21.09.2014 को दिन के 02:00 बजे या उसके लगभग ग्राम हलनपुर थाना चंदेरी में अभियुक्त मुन्नी ने कोमल को लोक स्थान पर मां बहिन की अश्लील गालिया उच्चारित कर कोमल व अन्य को क्षोभ कारित किया तथा अभियुक्तगण ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य कोमल को स्वेच्छया उपहति करना था, उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने कोमल को स्वेच्छया उपहति कारित की जिनमें से वीरन ने काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2014 को दिन के 02:00 बजे फरियादी कोमल काम से वापस आकर खाना खाकर पारी में बैठा था तभी गांव का मुन्नी अहिरवार पुरानी रंलिश पर से कोमल को गंदी मा बहन की गाली दे रहा था, उसके साथ में वीरन, कल्ली उमराव थे। कोमल ने गाली देने से मना किया, तो वीरन ने बाये हाथ की भुजा में कुल्हाड़ी मारी घाव होकर खून निकल आया, उमराव ने डंडा मारा सिर में लगा मुंदी चोट आई, कल्ली ने लात

मारी कमर में लगी मनीराम ने कोमल को पकड़ गिरा दिया, मुंदी चोट आई, घटना के समय नत्थू लोधी व मां मुगरिया थी जिन्होंने घटना देखी। फरियादी कोमल द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 412/14 अंतर्गत धारा— 323, 324, 34, 294 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—18.04.2017 को फरियादी कोमल के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण उमराव, कल्ली, व मनीराम पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 323 भादवि एवं अभियुक्त वीरन पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 323/149 भादवि व अभियुक्त मुन्नी पर लगे अतिरिक्त आरोप अंतर्गत धारा 323, 294 के तहत दण्डनीय आरोप से के आरोप से राजीनामों के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त वीरन पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 324 भा0द0वि0 एवं शेष अभियुक्तगण पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 324/149 भादवि शमनीय प्रकृति के न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

|    |  |
|----|--|
| 1. | क्या दिनांक 21.09.2014 को दिन में 2 बजे ग्राम हलनपुर में अभियुक्त वीरन ने फरियादी कोमल को काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की ? |
| 2. | क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त उमराव, कल्ली मनीराम, वीरन व मुन्नी एक विधि  |

|    |   |
|----|---|
|    | विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी को काटने के उपकरण से स्वेच्छया उपहति कारित करना था, और उक्त सामान्य उद्देश्य के प्रवर्तन में अभियुक्त वीरन ने फरियादी कोमल को काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की ? |
| 3. | दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?  |

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 06— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एवं निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में फरियादी कोमल (अ0सा0-1) सहित उसकी मां मुगियाबाई (अ0सा0-2) पुत्र कप्तान (अ0सा0-5) स्वतंत्र साक्षी के रूप में नत्थू (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये हैं।
- 07— फरियादी कोमल (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसके कथन देने के दिनांक से दो साल पहले दिन में करीब 02:00 बजे घटना उसके द्वारे की है, वह मजदूरी करने के लिये जमाखेडी गया था, तो आरोपीगण ने उसके घर की दीवार तोड़कर दो फीट जमीन दबा ली और जब उसके आकर मना किया, तो आरोपीगण उसे मारने आ गये अर्थात् फरियादी के अनुसार जमाखेडी से मजदूरी करके आने के बाद जब दिन में दो बजे वह अपने घर पहुँचा, तो उसने यह देखा कि आरोपीगण ने उसकी दीवार तोड़कर दो फीट जमीन दबा ली है, जिसे मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की।
- 08— फरियादी कोमल (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये घटना घटित होने के संबंध में उपरोक्त कथन उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 एवं पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श-डी-1 से मेल नहीं खाती है। पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श-डी-1 के अनुसार दिनांक 21.09.2014 को फरियादी निश्चित रूप से दिन में मजदूरी करके अपने घर आया था, परन्तु घर पर आते ही उसने अपने घर की दीवार

आरोपीगण के द्वारा तोड़कर दो फीट जमीन दबा लेने की घटना नहीं देखी थी, बल्कि वह तो मजदूरी से आकर घर में खाना खाकर घर के बाहर फर्सी पर आकर बैठा था और किसी पुरानी रंजिश पर से अभियुक्त मुन्नी अहिरवार के गाली देने पर उसका आरोपीगण से विवाद हुआ था।

09— अतः फरियादी के द्वारा अभियोजन घटना की शुरूआत होने के संबंध में जो कथन दिये हैं, वह उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस कथन प्रदर्श-डी-1 से विरोधाभासी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों में फरियादी ने पुरानी रंजिश पर से आरोपीगण से विवाद होना बताया है, यदि इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखा जाये तो फरियादी कोमल (अ0सा0-1) के स्वयं के कथन इस संबंध में विरोधाभासी है कि वास्तव में पूर्व की रंजिश की बात को लेकर थी। फरियादी कोमल (अ0सा0-1) घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा उसके घर की दीवार तोड़कर दो फीट जमीन आरोपीगण के द्वारा दबा लेने के कारण एवं मना करने पर विवाद होना बताता है जबकि उक्त दिनांक को अभियोजन घटना के अनुसार फरियादी मजदूरी से आकर खाना खाकर घर के बाहर बैठा था और विवाद दीवार तोड़ने पर से न होकर किसी पूर्व की रंजिश पर अभियुक्त मुन्नी के द्वारा गाली देने से प्रारंभ हुआ था।

10— फरियादी कोमल (अ0सा0-1) के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों एवं स्वयं उसके द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों के समग्र अध्ययन से ही यह स्पष्ट होता है कि पूर्व की रंजिश घर की दीवार तोड़ने पर से फरियादी व आरोपीगण के मध्य नहीं थीं और न ही घटना दिनांक को दीवार तोड़ने पर से या दो फीट जमीन घेरने पर से कोई विवाद हुआ था। फरियादी कोमल (अ0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 2 में बचावपक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव का हालांकि खण्डन करता है कि उसका अभियुक्त उमराव से जमीन का विवाद है तथा फरियादी को प्रतिपरीक्षण में भी कहना है कि घर की दीवार का विवाद चल रहा है, परन्तु इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 2 में यह कहना कि अभियुक्त उमराव ने उसे जमीन नपती के समय नहीं बुलाया था तथा उसकी दो फीट जमीन आरोपी ने दबा ली है, इस बात की पुष्टि करता है कि विवाद फरियादी के मकान की दीवार तोड़कर उसके घर की दो फीट जमीन दबाने का नहीं है, बल्कि उसके खेत की दो फीट भूमि का विवाद है।

- 11- उपरोक्त स्थिति स्वयं फरियादी का मां मुगियाबाई (अ0सा0-2) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनों से स्पष्ट होती है। मुगियाबाई (अ0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त उमराव एवं उसके पुत्र कोमल (अ0सा0-1) के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है तथा उनकी जमीने पास पास है और नपती में फरियादी के खेत में उमराव की जमीन निकली है तथा मुगियाबाई (अ0सा0-2) ने यह भी स्वीकार किया है कि नपती में फरियादी के खेत में अभियुक्त उमराव की जो जमीन निकली थी उस पर अभियुक्त उमराव फरियादी को खेती नहीं करने दे रहा था तथा इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इस विवाद के अलावा और कोई विवाद नहीं है।
- 12- कोमल (अ0सा0-1), मुगियाबाई (अ0सा0-2) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अभियुक्त उमराव और कोमल के मध्य घर की दीवार तोड़कर अभियुक्त उमराव के द्वारा फरियादी की जमीन दबा लेने का कोई विवाद इन दोनों के मध्य नहीं था और न ही घटना दिनांक को मकान की दीवार तोड़ कर जमीन दबा लेने के संबंध में कोई विवाद हुआ बल्कि मुख्य विवाद कृषि भूमि के संबंध में हैं, जो कि पास पास लगी हुई है और फरियादी के खेत में अभियुक्त उमराव की जमीन निकलने एवं उक्त जमीन पर अधिकार को लेकर फरियादी व अभियुक्त उमराव के मध्य विवाद की स्थिति है।
- 13- फरियादी कोमल (अ0सा0-1) का अभियोजन घटना के विरुद्ध यह कहना कि घटना दिनांक को जब वह मजदूरी करके आया था तो आरोपीगण के द्वारा उसके घर की दीवार तोड़कर जमीन दबाने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ विवाद किया था, विरोधाभासी होने से एवं स्वयं उसकी मां मुगियाबाई (अ0सा0-2) के द्वारा उक्त घटना का समर्थन न करने से फरियादी कोमल (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन मनगढ़ंत एवं कपोलकल्पित प्रतीत होते हैं।
- 14- फरियादी कोमल (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कही भी यह कहना नहीं है कि घटना दिनांक को खाना खाकर जब वह घर के बाहर आकर बैठा था तो अभियुक्त मुन्नीलाल के द्वारा उसे पुरानी जमीनी रंजिश पर से गालियां देने पर विवाद प्रारंभ हुआ था। यहां तक कि फरियादी कोमल (अ0सा0-1) अपने संपूर्ण न्यायालीन कथनों इस संबंध में मौन

है कि अभियुक्त मुन्नी लाल व अभियुक्त मनीराम के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर क्या घटना कारित की गई थी। प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 में मनीराम के द्वारा घटना कारित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नामजद रिपोर्ट लेख कराई गई है जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु अचानक प्रदर्श-डी-1 के कथनों में मनीराम के नाम का उल्लेख होना अपने आप में अभियोजन घटना में मनीराम की संलिप्तता पर प्रश्न चिह्न लगाने के लिये पर्याप्त है।

15- घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नथन सिंह (अ0सा0-3) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं करता है तथा अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताता है। इस साक्षी का मात्र यह कहना है कि उसे यह तो पता है कि झगडा हुआ था लेकिन क्या झगडा हुआ था यह उसे मालूम नहीं है। फरियादी की मां मुगियाबाई (अ0सा0-2) भी अभियोजन कहानी के अनुसार घटना की प्रत्यक्षदर्शी हैं, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में वीरन एवं मनीराम की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं उनके द्वारा किये गये कृत्यों के संबंध में जहां कोई कथन नहीं दिये है, वहीं इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह झगडे के समय वह घर के अंदर थी मौके पर नहीं गई थी तथा जब वह घटना स्थल पर पहुंची थी तो आरोपीगण जा चुके थे। इस साक्षी के अनुसार सामने कोमल (अ0सा0-1) के साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की। यदि इस साक्षी के सामने मारपीट की कोई घटना ही नहीं हुई तो उसके द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा घटना में किये गये कृत्यों के संबंध में दिये गये कथन अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आने से वैसे ही साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। घटना अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कप्तान सिंह (अ0सा0-5) अपने सामने मात्र गाली-गलौच की घटना होना बताता है तथा यह साक्षी भी अपने सामने कोई लड़ाई झगडा न होना बताता है।

16- घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नथन सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन न करने एवं स्वयं मुगियाबाई (अ0सा0-2) व कप्तान सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अपने सामने आरोपीगण के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट न किये जाने के संबंध में दिये गये कथनों के पश्चात् घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में एक मात्र फरियादी कोमल (अ0सा0-1) की साक्ष्य अभिलेख पर शेष बचती है, जिसका मूल्यांकन किया जाना है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्वीकृत है कि अभियुक्त उमराव और

फरियादी के मध्य जमीनी विवाद को लेकर पूर्व की रंजिश है। फरियादी के द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार जंहा पूर्व की रंजिश के चलते अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित की गई वहीं बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा है कि उक्त कारण से अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व की रंजिश दो धारी तलवार के सामान होती है, जिसके आधार पर वास्तविक घटना कारित हो सकती है वहीं उक्त रंजिश के कारण षडयंत्र रचकर झूठे प्रकरण भी संस्थित किये जा सकते हैं ऐसी स्थिति में साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है।

- 17- फरियादी कोमल (अ0सा0-1) अपने कथनों में अभियुक्त उमराव के द्वारा कमर में लाठी मारना वीरन के द्वारा कराई व पसलियों में घुसें मारना एवं अभियुक्त कल्ली के द्वारा बाये हाथ में कुल्हाड़ी मारने के संबंध में कथन देता है, परन्तु स्वयं इसी साक्षी के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श-डी-1 के अनुसार वीरन ने घटना में पसलियों में घुसें न मारकर उसे बाये हाथ की भुजा में कुल्हाड़ी मारी थी, वहीं उमराव के द्वारा कमर में लाठी न मारकर सिर में डंडा मारने की घटना लेख है एवं कल्ली के द्वारा बाये हाथ में कुल्हाड़ी न मारकर मात्र कमर में लात मारने का उल्लेख है। अतः कोमल (अ0सा0-1) के द्वारा इस संबंध में दिये गये कथन कि घटना में किस आरोपी ने उसे किस जगह पर किस हथियार से उपहति कारित की है इसमें गंभीर विरोधाभास की स्थिति है।
- 18- यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से जब कभी भी किसी घटना में कई व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ हथियारों से लेश होकर मारपीट की जाती है तो निश्चित रूप से आहत व्यक्ति के लिये यह बता पाना संभव नहीं होता है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से शरीर के किस भाग पर उसे उपहति कारित की है, परन्तु कौन सा अभियुक्त कौन से हथियार से घटना में मारपीट कर रहा था एवं उसे घटना में शरीर के किस भाग पर उपहति कारित हुई यह बताने में आहत व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि आहत व्यक्ति घटना के कितने भी समय के बाद यह बताने की स्थिति में होता है कि उसे घटना में कहा चोटें आई थी।
- 19- कोमल (अ0सा0-1) कल्ली के द्वारा उसे बाये हाथ में कुल्हाड़ी से मारना बताता है अभियोजन कहानी के अनुसार कुल्हाड़ी वीरन के द्वारा मारी गई वो भी बाये हाथ में मारी गई थीं, परन्तु चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ

(अ0सा0-4) अपने न्यायालीन कथनों में घटना दिनांक को चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के दाहिने हाथ में एक फटा हुआ साधारण घाव पाये जाने के संबंध में कथन देते हैं जिसकी पुष्टि उनके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 से होती है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि फरियादी के बाये हाथ में कोई उपहति कुल्हाड़ी की चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई।

20- अतः फरियादी कोमल (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये संपूर्ण न्यायालीन कथनों को देखा जाये जो उसके संपूर्ण कथनों में घटना घटित होने के कारण से लेकर उसे किस अभियुक्त ने मारपीट की थी तथा किस अभियुक्त से विवाद का प्रारंभ हुआ, इस संबंध में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है। जिस व्यक्ति को घटना में चोट आई हो, यदि वह यहीं न बता सके कि उसे कहा चोटें आई थी अपने आप में कहीं ना कहीं उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ले आता है क्योंकि जिस व्यक्ति को चोट घटना में आती है उसे यह याद करने में कठिनाई नहीं होती है उसे शरीर के किस भाग पर चोट आई थी फिर भले ही वह यह ना बता सके कि किसने चोट पहुंचाई। फरियादी को कुल दो चोटें साधारण प्रकृति चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई यदि हथियारों से चार अभियुक्तों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जावे, तो मात्र साधारण उपरोक्त चोटें भी कहीं न कहीं घटना को संदिग्ध बनाती हैं। घटना के स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन घटना के विरुद्ध कथन दिये हैं वही फरियादी के कथनों में उत्पन्न हुआ गंभीर विरोधाभास, एवं अभियुक्तगण व फरियादी के मध्य पूर्व की रंजिश का होना बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को अधिक संभाव्य बनाता है। जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने का अधिकार रखते हैं।

21- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक 21.09.2014 को दिन में 02:00 बजे ग्राम हलनपुर में अभियुक्त वीरन ने फरियादी कोमल को काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की अथवा उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त उमराव, कल्ली मनीराम, वीरन व मुन्नी एक विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी को काटने के उपकरण से स्वेच्छया उपहति कारित करना था, और उक्त सामान्य उद्देश्य के प्रवर्तन में अभियुक्त वीरन ने फरियादी कोमल को काटने के उपकरण कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहति कारित की।



22— फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त वीरन के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324 एवं अभियुक्त उमराव पुत्र भगुन्ता अहिरवार, कल्ली पुत्र उमराव अहिरवार, मीनाराम पुत्र गोरेलाल अहिरवार, मुन्नी पुत्री उमराव अहिरवार के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324/149 के आरोप प्रमाणित न होने से एवं अभियुक्त वीरन पुत्र उमराव अहिरवार को भा0द0वि0 की धारा 324 एवं अभियुक्त उमराव पुत्र भगुन्ता अहिरवार, कल्ली पुत्र उमराव अहिरवार, मीनाराम पुत्र गोरेलाल अहिरवार, मुन्नी पुत्री उमराव अहिरवार को भा0द0वि0 की धारा 324/149 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

23—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)